राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	पवन कुमार बनाम मनोज हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1332/2025	
19/09/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/09/2025 को पेश हो	
23/09/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया	अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क़ानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 20/06/2025 पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अपील पेश की गयी	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री में मीट्स एण्ड बाउन्ड्स एवं क़ब्जा काश्त का अंकन किये बगैर ही एवं रास्ते की सुनिश्चिता किये बगैर ही अपीलार्थी प्राथमिक निर्णय पारित किया गया, जो कानूनन त्रुटीपूर्ण है	अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस मुख्य रूप से विवादग्रस्त भूमि में रास्ते को सुनिश्चित करते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर निर्णय पारित किया जावे	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका में अपीलार्थी द्वारा किये गये निवेदन की कोई कोई ध्यान नही दिया गया	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लिये बगैर ही एवं क़ानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 20/06/2025 पारित किये जाने में तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी कारित की है	अत: अपील स्वीकार फरमाई जावे | अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान की तामील करवाने के उपरान्त उपस्थित पक्षकारान के प्राथमिक डिक्री पारित करने के निवेदन पर ही सही रूप से राजस्व बोर्ड के नियमानुसार पक्षकारान को सूचित कर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाये जाने के निर्देशों के साथ अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री पारित की गयी है, जिसमे कोई त्रुटी नही है	अत: अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	बहस के दौरान उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी द्वारा की गयी बहस की ताईद होती है कि सुयोग्य	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पवन कुमार बनाम मनोज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करते हुये रास्ते की उपलब्धता को सुनिश्चित नही किया गया है एवं अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी (मीट्स एण्ड बाउन्ड्स) के आधार पर पक्षकारान के विभाज प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार को स्पष्ट निर्देश प्रदान नही किये गये है, जो विधिसम्मत प्रतीत नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 20/06/2025 को इस आशय से संशोधित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश प्रदान किये जाते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 20/06/2025 के माध्यम से दिये गये निर्देशों के साथ ही सभी पक्षकारान/सहखातेदारान को विभाजन में प्रस्तावित होने वाली भूमि तक उनकी पहुंच को ध्यान में रखते हुये रास्ते की उपलब्धता को सुनिश्चित कर अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी (बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स) के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार पावटा से तलब करने हेतु पुन: प्राथमिक डिक्री जारी करे | तदनुसार प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर अपील निस्तारित की जाती है|

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो|

निर्णय आज दिनांक 23/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया|

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर